ऑन लाईन नं. GCMS 2025/11

**न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर**

**पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.**

**न्याय निर्णयन आवेदन सं० 11/2025**

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार भठेजा गुप्ता पुत्र श्री मुन्शीराम मठेजा (विक्रेता व प्रोपराइटर) निवासी– वेलकम विहार, श्रीगंगानगर, मेसर्स–खजान चन्द एंड संस, 103–छोटी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर
2. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नवल किशोर (उत्तरदायी व्यक्ति), निवासी मकान नं. 78/1, वार्ड नं. 11 करन विहार, करनाल, हरियाणा, मै. गुडरिच कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड(निर्माता फर्म), गांव नाग्ला, मेरठ रोड, करनाल हरियाणा।

**अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा**

**एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51**

**निर्णय** दिनांक: 03.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.11.2024 को समय 02:00 पी. एम. बजे को मैसर्स–खजान चन्द एंड संस, 103–छोटी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, पर पहुँचा, मौके श्री महेन्द्र कुमार भटेजा पुत्र श्री मुन्शीराम भठेजा (विक्रेता व प्रोपराइटर) को अपना परिचय देकर संस्थान का निरिक्षण कर खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) के 450–450 gm के 09 कार्टुन में 216 नग को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉच वास्ते खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मौके पर ही विकेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री महेन्द्र कुमार भठेजा पुत्र श्री **मुन्शीराम भठेजा (विकेता व प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री महेन्द्र कुमार भठेजा मुत्र **श्री मुन्शीराम भटेजा (विक्रेता व प्रोपराइटर)**, को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ 450–450हउ के 09 कार्टुन में 216 नग Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) में से 450–450हउ के मूल चार शील्ड जार पैको कुल 1 किलो 800 ग्राम के वजनी को विकेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) का

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नगद भुगतान 420 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) को मूल चार जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2608** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न **के–2608** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना गाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना माग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री महेन्द्र कुमार भठेजा पुत्र श्री मुंशीराम भठेजा(विक्रेता एवं प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1513/Act/2024/1513 Dated 02-12-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2608 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **महेन्द्र कुमार भठेजा पुत्र श्री मुंशीराम भठेजा (मालिक एवं विक्रेता) निवासी– वेलकम विहार, श्रीगंगानगर, मेसर्स–खजान चन्द एंड संस, 103–छोटी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर और मनोज कुमार पुत्र श्री नवल किशोर (उत्तरदायी व्यक्ति), निवासी मकान नं. 78/1, वार्ड नं. 11 करन विहार, करनाल, हरियाणा, मै. गुडरिच कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड(निर्माता फर्म), गांव नाग्ला, मेरठ रोड, करनाल हरियाणा** द्वारा अमानक स्तर Dairy Creamer (गुडरिच ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई। अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र ग्रेवर उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि मेरे संस्थान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.11.2024 को अवश्य आए तथा उन्होंने अपना परिचय मेरे संस्थान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में देकर खाद्य पदार्थ Dairy Creamer (गुडरीच ब्रांड) के संदर्भ में जानकारी चाही और मेरे संस्थान से गुडरीच ब्रांड का शील्ड जार पैकों कुल एक किलो 800 ग्राम वजनी का खरीद किया गया। डेयरी क्रीमर गुडरिच ब्रांड का नगद भुगतान 420 रूपए किया गया, उत्तरदाता अप्रार्थी उक्त गुडरिच ब्रांड का निर्माता नहीं है, बल्कि उस द्वारा जरिए बिल कंपनी निर्माता गुडरिच कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड गांव नांगला मेरठ रोड करनाल से खरीद किया गया ब्रांड है, उक्त मामला आज की भौतिक मार्केटिंग की प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप बनाया गया प्रकरण है, फिर भी मैं उत्तरदाता अप्रार्थी उक्त विवाद को अनावश्यक रूप से आगे संचालित नहीं करना चाहता। दुकानदार हूं और अनावश्यक खर्चों व परेशानी से बचने के लिए निवेदन है कि मैं गुड फेथ पर उक्त माल की बिक्री करता था। अब उक्त माल का कोई स्टॉक मेरी दुकान पर नहीं है। कंपनी को वापिस लौटा दिया गया है। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जो कार्यवाही अमल में लाई गई है, उसे मेरी सीमा तक निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Dairy Creamer (गुडरीच ब्रांड) का सैम्पल **K-2608** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1513/Act/2024/1513 Dated 02-12-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी दुकानदार है और अनावश्यक खर्चों व परेशानी से बचने के लिए निवेदन करता है कि गुड फेथ पर उक्त माल की बिक्री करता था। अब उक्त माल का कोई स्टॉक मेरी दुकान पर नहीं है। कंपनी को वापिस लौटा दिया गया है। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध जो कार्यवाही अमल में लाई गई है, उसे निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Dairy Creamer** bearing code No. K-2608 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as Total Fat content found to less as per label declaration** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **महेन्द्र कुमार भठेजा पुत्र श्री मुंशीराम भठेजा (मालिक एवं विक्रेता) निवासी– वेलकम विहार, श्रीगंगानगर, मेसर्स–खजान चन्द एंड संस, 103–छोटी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर और मनोज कुमार पुत्र श्री नवल किशोर (उत्तरदायी व्यक्ति), निवासी मकान नं. 78/1, वार्ड नं. 11 करन विहार, करनाल, हरियाणा, मै. गुडरिच कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड(निर्माता फर्म), गांव नाग्ला, मेरठ रोड, करनाल हरियाणा** को एक्ट 2006

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **महेन्द्र कुमार भठेजा पुत्र श्री मुंशीराम भठेजा** (मालिक एवं विक्रेता) निवासी– वेलकम विहार, श्रीगंगानगर, मेसर्स–खजान चन्द एंड संस, 103–छोटी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर को **राशि रुपए 30000/–(अखरे रुपए तीस हजार मात्र) और मनोज कुमार पुत्र श्री नवल किशोर (उत्तरदायी व्यक्ति)**, निवासी मकान नं. 78/1, वार्ड नं. 11 करन विहार, करनाल, हरियाणा, मै. गुडरिच कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड(निर्माता फर्म), गांव नाग्ला, मेरठ रोड, करनाल हरियाणा को **राशि रूपये 70,000–00 (अखरे रूपये सत्तर हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।